Seventeenth Loksabha

>

Title: Introduction of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 20 श्री अर्जुन मुंडा जी ।

जनजातीय कार्य मंत्री (**श्री अर्जुन मुंडा**) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को शामिल किए जाने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को शामिल किए जाने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"
>
> माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (**बहरामपुर**): सर, मैं इस बिल के विरोध के लिए नहीं, बल्कि मैं मंत्री जी को एक सलाह के रूप में बोलते हुए उनका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ ।

जब भी एसटी की लिस्ट में किसी सर्टेन जाति को ट्राइब्स में इनक्लूजन की बात होती है, तो इसे एक piecemeal manner की जगह एक कंप्रिहेंसिव वे में होना चाहिए । आप किसी एक को बाहर से लाए हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के बहुत-से सूबे से ट्राइब्स के लिए मांग है । एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट बनानी चाहिए । जैसे मैं बराबर यह मांग करता आ रहा हूँ कि मेरे स्टेट के कुर्मी समाज के लोगों को

एसटी में शामिल किया जाए । इसके पीछे यह तर्क है कि Kurmi is one of the most primitive tribes of old Chhota Nagpur region of India as well as the State of West Bengal particularly in the Jungle Mahals region.

In the British Census of 1872, the *Kurmis* were analysed as *Kurmis* of the Woods, that means, *Jhari Kurmi,* produced in support of the Report on the Census of Bengal in 1872 by H. Beverley, Inspector-General of Registration, Bengal who described that Colonel Dalton mentioned about some *Jhari Kurmis* or `*Kurmis* of the Woods' in Chotanagpur who are said to worship strange Gods. बात यह है कि आप बंगाल में जाइए, झारखंड में जाइए, ओडिशा में जाइए, लाखों की तादाद में कुर्मी समाज के लोग सालों से यह मांग करते आ रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए । …(व्यवधान)

मैंने इस मुद्दे को लेकर आपके सामने सारे तर्क पेश किए हैं, लेकिन पता नहीं आप क्यों अलग-अलग ढंग से, थोड़ा इधर से और थोड़ा उधर से, इस विषय पर काम कर रहे हैं । आपको इस तरीके के काम करने के बजाए हिन्दुस्तान में कई जगहों से शेड्यूल ट्राइब्स की सूची में शामिल होने के लिए जो मांगें आई हैं, उन सबको साथ में लेकर आपको एक बिल लाना चाहिए । यही मेरा सुझाव है ।

माननीय अध्यक्ष : क्या कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहता है? देखिए, ऐसे भी सदन चलता है, मैं सबको बोलने का मौका दे रहा हूं ।

श्री अर्जुन मुंडा जी । आप बोलिये ।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अधीर रंजन चौधरी जी को इस बात की जानकारी है, लेकिन वे इसके बाद भी इसे दोहरा रहे हैं । जनजातीय सूची में प्रविष्ट करने के लिए जो प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार मापदंड तय किए गए हैं । इन मापदंडों में सभी राज्यों के बारे में रिसर्च बेस्ड, तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत राज्य सरकार की अनुशंसा के

आलोक में विभिन्न स्तरों पर उसकी समीक्षा की जाती है और उसको उसी कड़ी में, सारी समीक्षाओं के बाद, पार्लियामेंट में लाया जाता है ।

एक-एक समुदाय के बारे में रिसर्च होता है । ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अनुशंसा प्राप्त होती है, राज्य सरकार की अनुशंसा प्राप्त होती है । उसके बाद, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आने के बाद, उसे रजिस्ट्रार जनरल के पास समीक्षा के लिए भेजा जाता है । उनकी समीक्षा उपरांत कमीशन के पास भेजा जाता है । तदोपरांत, वह मंत्री परिषद में आता है और उसके बाद पार्लियामेंट में उसे लाया जाता है । सभी समुदायों के बारे में इस तरह के प्रावधान हैं । सभी अलग-अलग जातियों के संबंध में रिसर्च पेपर्स बनते हैं । उसी कड़ी में त्रिपुरा का यह जो मामला लाया गया है, डारलोंग कम्युनिटी की उप-जाति के रूप में कुकी संप्रदाय है, जो डारलोंग कम्युनिटी का ही है । उनको सूचीबद्ध करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है । सभी राज्यों की जैसे-जैसे रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स आती हैं, तदनुसार उसको क्रमवार तरीके से आगे बढ़ाया जाता है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: मुंडा जी, वर्ष 1931 में ये प्राचीन जनजाति में शामिल हो चुके हैं । मैं आपको बताता हूं । Government of India Order SRO 510 dated 5th September, 1950 and 2/38/50 Public dated 5th October, 1950 declared that only those who were in the list of primitive tribes in the Census Report of 1931 were to be inducted in the list of Scheduled Tribes. ये तो वर्ष 1931 में थे, मैं इन्हीं के लिए मांग कर रहा हूं । आप अनुशंसा वगैरह की घुमा फिराकर बात कर सकते हैं, लेकिन आप इतिहास पर थोड़ा अनुसंधान कीजिए । आप इतिहास पर थोड़ा गौर कीजिए और वर्ष 1931 की सेंसेस रिपोर्ट देखिए, उसमें आपको यह मिलेगा ।

मैं जो आपको तर्क दे रहा हूं, वह मैं आपसे सीधे तौर पर पूछ रहा हूं । आप अगर इसमें जरा सी भी कोशिश करेंगे तो लाखों की तादाद में कुर्मी समाज के जो ये लोग हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं । हमारे बंगाल के भी साथी यहां हैं, सुदीप बाबू यहां हैं, बंगाल की सरकार भी इसके पक्ष में है । इसलिए हम चाहते

हैं कि आप इन्हें इसमें शामिल कीजिए । लाखों की तादाद में कुर्मियों की यह मांग सालों से चलती आ रही है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को शामिल किए जाने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u> ।

श्री अर्जुन मुंडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

<u>17.09 hrs</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करता हूं । मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखें ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब शून्य काल ।

… (व्यवधान)